प्रेषक,

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0–03, कौशाम्बी।

सेवा में,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार, उ.प्र.
इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश
कौशाम्बी।

विषय: **श्री सुरजन सिंह, सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी, कौशाम्बी की सेवा पुस्तिका का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप अपने पत्र संख्या–3832/वे.प.प्र./न्यायिक/ई.आर.पी.–एस–441 दिनांक 23.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि इस न्यायिक अधिष्ठान में कार्यरत श्री सुरजन सिंह, की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या–1858/डी.आर.(एस)/2013 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार सिविल जज, कनिष्ठ श्रेणी के पद से सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के पद पर हुई है तथा उक्त अधिकारी महोदय द्वारा इस न्यायिक अधिष्ठान में दिनांक 21.12.2013 को सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–सी 1548/सी.एफ.(बी)/2014, इलाहाबाद दिनांक 23, सितम्बर, 2014 के अनुपालन में इस न्यायिक अधिष्ठान में कार्यरत न्यायिक अधिकारी श्री सुरजन सिंह को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर सम्प्रति समूह ख की श्रेणी में प्रथम ए.सी.पी. वेतनमान रू0 33090–920–40450–1080–45850 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस न्यायिक अधिष्ठान में वेतन निर्धारण किया गया है, जिसका निर्धारण शीट, सेवा पुस्तिका में चस्पा कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि श्री सुरजन सिंह, सिविल जज, (वरिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी की मूल सेवा पुस्तिका व वेतन निर्धारण शीट की प्राप्ति स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर,

13/3/15

संलग्नक: **मूल सेवा पुस्तिका**

आहरण एवं वितरण अधिकारी
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

09 APR 2015

प्रतिलिपि:

श्रीमान उपनिबन्धक (सेवाएँ) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ सादर प्रेषित।

13/3/15

आहरण एवं वितरण अधिकारी
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

13 APR 2015

DR (M)

This serial is only for information. May file it.

Shanti Dixit
24/04/15
(RO)

File
27/4

[illegible]
27/04/15

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 16:17:54 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad